न्यायालय न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी : मनीषा सिंह,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम याचिका सं. – 146/2017
सीआईएस नंबर – 183/2019

1– विमला देवी पत्नि स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, उम्र– 35 वर्ष,
2– सजना पुत्री स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, उम्र– 15 वर्ष,
3– ममता पुत्री स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, उम्र– 13 वर्ष,
4– राहुल पुत्र स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, उम्र– 11 वर्ष,
5– आरती पुत्री स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, उम्र– 9 वर्ष
2 ता 5 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विमला देवी पत्नि स्व. नानूराम उर्फ रामरतन, निवासनी– कुम्हारों का मौहल्ला, कालवाड़ थाना कालवाड़, जिला जयपुर।
6– नन्छी देवी पत्नि कजोड़मल, उम्र– 75 वर्ष,
7– कजोड़मल पुत्र स्व. बालूराम, उम्र– 80 वर्ष,
निवासनी–कुम्हारों का मौहल्ला, कालवाड़ थाना कालवाड़,जिला जयपुर।

...... प्रार्थीगण

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र प्रहलाद सहाय, निवासी ग्राम चौंप, माली मौहल्ला, तहसील आमेर, थाना हरमाड़ा, जिला जयपुर।
(चालक वक्त दुर्घटना टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625)
2– रमाकान्त योगी पुत्र लालानाथ योगी, निवासी प्लाट नम्बर–22, जागियों का मौहल्ला कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
(पंजीकृत वाहन स्वामी व बीमा धारक वक्त दुर्घटना टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625)
3– इरशाद पुत्र इकबाल हुसैन, निवासी वार्ड नम्बर –21, बी. के. गौरी कॉलोनी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
(जरिये मुख्त्यारआम स्वामी वक्त दुर्घटना टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे –23–टी.ए.–2625)
4– ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी जरिये शाखा प्रबन्धक द्वितीय फ्लोर आनन्द भवन, संसार चन्द रोड़, जयपुर।
(वक्त दुर्घटना बीमाकर्ता बीमा कम्पनी टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए. –2625)

.......अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

याचिका अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधि0 1988

उपस्थितः–

1–श्री शंकर मान, वि. अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2–अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3–श्री सौरभ कूबा, वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.3 बीमा कं. की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 18.09.2025**

1– उक्त क्लेम याचिका प्रार्थीगण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा–166 के तहत प्रस्तुत कर दुर्घटना में नानूराम उर्फ रामरतन के चोटें आने से मृत्यु होना बताते हुए मुआवजा राशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक नानूराम दिनांक 11.10.2016 को शाम 7 बजे जोबनेर रोड़ पर यादव ढ़ाबे की तरफ किसी काम से गया था, उसी समय यादव ढाबे के आगे पहुॅचा तो जयपुर से जोबनेर की तरफ जाती हुई एक टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक के जोरदार टक्कर मार दी, जिसे चिरायु हॉस्पिटल हाथोज में भर्ती कराया, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 227/2016 पुलिस थाना कालवाड़ में दर्ज कराई। दुर्घटना से पूर्व मृतक 37 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति होकर मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाने की मजदूरी कर 15 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता था, जिससे अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने से प्रार्थीगण का जीवन व भविष्य अंधकारमय हो गया, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। मृतक की मृत्यु से प्रार्थीगण लाड–प्यार, दुलार, संरक्षण सहयोग एवं सलाह आदि से वंचित हो गये। प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति, शारीरिक, मानसिक पीड़ा हुई। वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.–1 उक्त वाहन टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625 का चालक होकर, अप्रार्थी सं.–2 रजिस्टर्ड स्वामी/बीमाधारक व अप्रार्थी सं. 3 मुख्यात्यारआम के नियोजन में उनके हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था तथा अप्रार्थी/विपक्षी सं.–4 उक्त वाहन की बीमा कम्पनी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार है। प्रार्थीगण याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि

प्राप्त करने के अधिकारी है।

3— अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं.—1 लगायत 3 की ओर से बावजूद सम्यक तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 27.06.2023 को अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4— अप्रार्थी/विपक्षी सं.—4 बीमा कम्पनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वर्णित किया कि कथित दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज करवायी गई थी, प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं 1 लगायत 3 से मिलीभगत कर दुर्घटना में बीमित वाहन को मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। बीमित वाहन से दिनांक 11.10.2016 को मृतक के साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। बल्कि दुर्घटना स्वंय मृतक की गलती के कारण अज्ञात वाहन से टकराने के कारण हुई है। मामला फर्जी व बनावटी तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजात पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जवाब में यह भी वर्णित किया कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं.1 के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था। बीमित वाहन एक व्यवसायिक वाहन है जिसके चालन के लिए वैध एव प्रभावी परमिट एवं फिटनेस नहीं था। प्रार्थीगण ने क्षतिपूर्ति राशि काल्पनिक रूप से बढ़ा—चढ़ाकर मनमाने तौर पर अंकित की है। बीमाधारक द्वारा कथित दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं देकर बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थीगण, विपक्षी/अप्रार्थी बीमा कम्पनी से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, इस प्रकार की आपत्तियां उठाते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5— पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :—

1. आया प्रश्नगत वाहन नं. आरजे—23—टीए—2625 के चालक विपक्षी सं.1 के द्वारा दिनांक 11.10.2016 को समय 07.00 पी.एम. पर यादव ढाबे के आगे कालवाड़ पर उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप नानूराम उर्फ रामरतन के चोटें आई, जिस पर उसकी मृत्यु हुई ?
2. आया उक्त वाहन चालक विपक्षी सं.1 वाहन स्वामी विपक्षी सं. 2 व 3 के हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ?

3. आया विपक्षी सं. 4 द्वारा अपने लिखित कथन की प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव ?
4. आया दावेदार अपने दावे/दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सका हैं, यदि हॉ तो दावेदार कितनी कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते है ?
5. अनुतोष?

6– प्रार्थीगण की ओर से बतौर गवाहान ए.डब्ल्यू–1 विमला देवी, ए.डब्ल्यू.–2 सुरज्ञान प्रजापत को परीक्षित कराया तथा कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–16 तक दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये।

7– अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से एन.ए.डब्ल्यू–1 नुतन स्वामी को परीक्षित कराया तथा प्रदर्श एनए–1 लगायत प्रदर्श एनए–5 तक दस्तावेजात प्रदर्शित कराये।

8– बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपनी याचिका, जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्को के रूप में प्रस्तुत किया।

9– उपरोक्त विवाद्यकों के संबंध में हमारा निष्कर्ष एवं निर्णय निम्न प्रकार है :–

:: विवाद्यक संख्या 1 व 2 ::

10– उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार याचीगण/प्रार्थीगण पर था। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2011 (सुप्रीम कोर्ट) 1504 परमेश्वरी बनाम अमीरचंद के मामलें में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–166 मोटर वाहन अधि0 के मामलों में फौजदारी मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है बल्कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है, उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रकरण पर विचार किया गया।

11– याचीगण/प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दुर्घटना दिनांक 11.10.2016 की रिपोर्ट दूसरे दिवस दिनांक 12.10.2016 को पुलिस थाना

कालवाड पर अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज कराई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 227/2016 दर्ज हुई, जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान दुर्घटना वाहन टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625 के चालक विपक्षी सं.1 की तेजगति व लापरवाही से प्रश्नगत दुर्घटना होना प्रमाणित पाते हुए संबंधित न्यायालय में आरोपत्र पेश किया।, चश्मदीद गवाह ने भी दुर्घटना वाहन टेम्पू ट्रेक्स नं. आर. जे.–23–टी.ए.–2625 के चालक की तेजगति व लापरवाही से होने के संबंध में साक्ष्य दी है, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि उक्त दुर्घटना वाहन टेम्पू ट्रेक्स नं. आर.जे.–23–टी.ए.–2625 के चालक विपक्षी सं.1 की तेजगति व लापरवाही के कारण ही घटित हुई है तथा वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन चालक, विपक्षी सं.2 वाहन पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं.3 मुख्त्यारआम के नियोजन में उनके हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था।

12– जबकि वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.–4 बीमा कम्पनी का बहस के दौरान तर्क रहा है कि कथित दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना के दूसरे दिवस अज्ञात वाहन के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं 1 लगायत 3 से मिलीभगत कर दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त कर क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से दर्ज कराई। बीमित वाहन से दिनांक 11.10.2016 को मृतक के साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई, प्रश्नगत दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त किया है। दुर्घटना के संबंध में रोजनामचा रपट भी पेश नहीं है। दुर्घटना स्वंय मृतक की गलती के कारण अज्ञात वाहन से टकराने के कारण हुई है।प्रार्थीगण की क्लेम याचिका फर्जी व बनावटी तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजात पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका विरूद्ध विपक्षी/अप्रार्थी बीमा कम्पनी खारिज की जावे।

13– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में याची/प्रार्थीगण पक्ष की ओर से साक्ष्य में मृतक की पत्नि ए.डब्ल्यु–1 विमला देवी ने कथन किया कि उसके पति जोबनेर यादव ढाबे के आगे किसी काम से गये थे, एक टैम्पो टेक्स नं. आरजे 23 टी ए 2625 का चालक अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए उसके पति के रोंग साईड में आकर टक्कर मार दी, जिनको चिरायु

अस्पताल हाथोज में भर्ती कराया, जहॉ उनकी मृत्यु हो गई। समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 अन्तिम रिपोर्ट, प्रदर्श–2 चार्जशीट, प्रदर्श–3 एफआईआर तहरीरी, प्रदश्र–4 फद्र पंचायतनामा लाश, प्रदर्श–5 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श–6 नक्शा मौका, प्रदर्श–7 व 8 नोटिस 133 व 134 एमवीएक्ट, प्रदर्श–9 फर्द जब्ती टैम्पो ट्रेक्स, प्रदर्श–10 फर्द जब्ती डीएल, प्रदर्श–11 फर्द जब्ती असल आरसी व बीमा, प्रदर्श–12 एमआई, प्रदर्श–13 बीमा पत्र, प्रदर्श–14 आरसी, प्रदर्श–15 डीएल, प्रदर्श–16 पीएमआर पेश कर प्रदर्शित कराये। जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह वकत दुर्घटना मौके पर मौजूद नहीं थी। दुर्घटना की सूचना उसके जेयठ मालीराम ने दी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि दुर्घटना की एफआईआर अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने के संबंध में पेश की है।

14– चश्मदीद गवाह के रूप में पेश गवाह ए.उब्ल्यु–2 सुरज्ञान प्रजापत ने साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 11.10.2016 को वह पंचार दशहरे के मेले में जरकर वापस यादव ढ़ाबे के पास पहुॅचा तो उसी समय एक टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे–23–टीए–2625 का चालक पैदल चल रहे नानूराम के टक्कर मार दी जिससे वह नीचे गिया गया, उसने उसके बडे भाई मालीराम को फोन किया, मालीराम ने एम्बुलेंस को फोन किया, उसके बाद उसको एम्बुलेंस से चिरायु अस्पताल लेकर गया, जहॉ भर्ती कराया तथा 3–4 घण्टे बाद मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना उसके सामने घटित हुई थी। जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। मृतक के बड़े भाई मालीराम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन टक्कर मारकर भाग गया था और जिसे उसने देख लिया था। मालीराम को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर मौके पर बता दिया था। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई और उसने नहीं देखी हो।

15– हमने उभय पक्षों के तर्कों तथा पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र विवेचन से प्रकट होता है कि मामले में दुर्घटना दिनांक 11.10.2016 की प्रदर्श–3 तहरीरी रिपोर्ट मृतक के भाई मालीराम ने दिनांक 12.10.2016 को दर्ज कराई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–227/2016 पुलिस थाना कालवाड़, जयपुर में दर्ज की गई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने प्रदर्श–2 आरोप पत्र विपक्षी सं.1 बाबूलाल के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. व धारा 134/187 एमवीएक्ट के

अपराध में उसके द्वारा वाहन टैम्पू ट्रेक्स आरजे 23 टीए 2625 को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना व जिसके परिणामस्वरूप मृतक नानूराम उर्फ रामरतन के गम्भीर चोटें कारित होने से मृत्यु होना प्रमाणित पाते हुए पेश किया। दुर्घटना के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज नक्शा मौका प्रदर्श–6 में मार्क ''एक्स'' स्थान पर दुर्घटना घटित होना दर्शाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध की वाहन टैम्पू ट्रेक्स आरजे 23 टीए 2625 की फर्द जब्ती प्रदर्श–9 व मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–12 मे वर्णित वाहन के हुलिये से भी आरोपित वाहन के चालक की तेजी व लापरवाही से प्रश्नगत दुर्घटना कारित होने के तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यू–2 सुरज्ञान प्रजापत ने सशपथ साक्ष्य में दुर्घटना उसके सामने होना तथा वक्त दुर्घटना वाहन टैम्पू ट्रेक्स आरजे 23 टीए 2625 ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर पैदल चल रहे नानूराम के टक्कर मारना कथन करते हुए दुर्घटना के तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की है। मृतक नानूराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–16 में सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु होना वर्णित है। प्रदर्श–4 फर्द पंचायतनामा व प्रदर्श–5 फर्द सुपुर्दगी लाश है। इसके अलावा प्रदर्श–7 धारा 133 एमवीएक्ट के नोटिस के जवाब में विपक्षी सं.3 इरशाद ने उक्त वाहन का पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर होने तथा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का चालक बाबूलाल होना तथा प्रदर्श–8 धारा 134 एमवी एक्ट नोटिस जवाब में विपक्षी सं.1 बाबूलाल ने वक्त दुर्घटना उक्त वाहन स्वंय द्वारा चलाना स्वीकार किया है। प्रदर्श–14 आर सी अनुसार विपक्षी सं.2 का उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रकट होता है। पत्रावली पर विपक्षीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन टैम्पू ट्रेक्स आरजे 23 टीए 2625 की तेजी व लापरवाही के कारण घटित नहीं हुई हो, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रकट होता है कि वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 चालक द्वारा वाहन टैम्पू ट्रेक्स आरजे 23 टीए 2625 को तेजगति, लापरवाही व उतावलेपन से चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई तथा जिसके परिणामस्वरूप मृतक नानूराम की मृत्यु हुई।

16— वि. अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी मुख्य यह तर्क यह रहा है कि दुर्घटना दिनांक 11.10.2016 की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2016 को अज्ञात वाहन के विरूद्व दर्ज हुई है, प्रश्नगत दुर्घटना में बीमित वाहन को झूंठा लिप्त किया गया

है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक 11.10.2016 की रिपोर्ट दूसरे दिवस दिनांक 12.10.2016 को ही दर्ज कराई गई है, जिसमें दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारना अंकित किया गया है, इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यू–2 सुरज्ञान प्रजापत ने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि दुर्घटना उसके सामने हुई है तथा यह भी कथन किया है कि वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के चालक ने पैदल पैदल चल रहे नानू राम के टक्कर मार दी। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्पष्ट कथन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन टक्कर मारकर भाग गया था और जिसे उसने देख लिया था। उक्त गवाह ने जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे उसके मुख्य परीक्षा में किये गये कथन खण्डित होते हो। मामलें पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के चालक विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 133 व 134 एम वीएक्ट नोटिस के जवाब में वाहन चालक व वाहन मालिक ने दुर्घटना होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। मृतक की पीएमआर प्रदर्श–16 में मृतक की मृत्यु दुर्घटना आई चोटों के कारण होना स्पष्ट वर्णित है। अप्रार्थीगण सं.1 लगायत 3 ने वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 को मामलें में झूंठा लिप्त करने के संबंध में कहीं कोई शिकायत या आपत्ति की हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं1 लगायत 3 से मिलीभगत कर बीमित वाहन को प्रश्नगत दुर्घटना में झूंठा लिप्त किया हो। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के चालक की तेजगति व लापरवाही के कारण घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक नानूराम के चोटें आई व मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में मामलें में तहरीर रिपोर्ट में दुर्घटना अज्ञात वाहन से होना अंकित होने मात्र से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

17— इस प्रकार पत्रावली पर आये तथ्यों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के चालक विपक्षी सं.1 बाबूलाल द्वारा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को तेजी, लापरवाही, उतावलेपन से चलाकर कारित की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप

नानूराम उर्फ रामरतन के गम्भीर चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई।

18— जहां तक विपक्षी सं.1उक्त वाहन चालक का विपक्षी सं.2 पंजीकृत स्वामी व विपक्षी सं.3 मुख्त्यारआम स्वामी के नियोजन में होकर उनके हितार्थ एवं लाभार्थ वाहन को दुर्घटना के समय चलाये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना के समय विपक्षी सं.1 का उक्त वाहन पर चालक होना प्रकट होता है। उक्त वाहन की प्रदर्श—14 आरसी व प्रदर्श—13 बीमा प्रमाणपत्र विपक्षी सं.2 के नाम से है। विपक्षी सं.3 ने स्वंय को उक्त वाहन मुख्त्यारआम स्वामी होना प्रदर्श—7 धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस में वर्णित किया है, मुख्त्यारनामा आम की फोटोप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रदर्श—15 डीएल विपक्षी सं.1 है। अतः पत्रावली पर उपलब वाहन की आरसी, बीमा—पत्र, धारा 133 व 134 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब, आरोप—पत्र आदि के अवलोकन से उक्त वाहन का विपक्षी सं.1 वाहन चालक का विपक्षी सं.2 पंजीकृत स्वामी/बीमाधारक व विपक्षी सं.3 मुख्त्यारआम स्वामी के नियोजन में उनके हितार्थ एव लाभार्थ उक्त वाहन को दुर्घटना के समय चलाया जाना साबित होता है।

19— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

:: विवाद्यक सं0—3 ::

20— इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी बीमा कंपनी पर था। विवाद्यक सं.1 व 2 के निर्णय में विपक्षीगण की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए उक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के चालक की लापरवाही से होना साबित हुआ है।

21— विपक्षी बीमा कंपनी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वक्त दुर्घटना बीमित वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 के बीमाधारी वाहन स्वामी के पास उक्त वाहन को चलाने के लिये वैध परमिट व फिटनेस नहीं था, ना ही चालक विपक्षी सं.1 के पास वैद्य व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स था। इस कारण इस दुर्घटना के लिये अप्रार्थी/विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी के उक्त तर्को का समर्थन गवाह एन.ए.डब्ल्यू—1 नुतन स्वामी की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजात प्रदर्श एनए—1 लगायत प्रदर्श एनए—05 से होता है।

22— इस मामले में प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विपक्षी सं.1 वाहन चालक के पास वक्त दुर्घटना वैद्य व प्रभावी डी/एल. था, बीमित वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 का परमिट व फिटनेस वैध एवं प्रभावी था या नहीं, यह साबित करने का भार विपक्षीगण पर था, जो विपक्षीगण की ओर से सुदृढ साक्ष्य पेश कर साबित नहीं करवाया गया है। वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन अप्रार्थी सं.4 के यहॉ बीमित था। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण/ विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

23— अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कंपनी की ओर एन ए डब्ल्यू—1 नूतन स्वामी ने साक्ष्य में कथन किए है कि वाहन नं. आरजे 23 टीए 2625 पैसंजर केयरिंग व्हीकल है जो बीमा रमाकान्त योगी के नाम से दिनांक 12.03.2016 से 11.03.2017 तक के लिये बीमा पॉलिसी की शर्तो के तहत किया गया जो प्रदर्श एनए—1 बीमा पॉलिसी है जिसके ए से बी भाग पर परमिट संबंधी शर्तो का उल्लेख है। उक्त वाहन बिना परमिट के चलना शर्तो का उल्लघंन है। वक्त दुर्घटना दिनांक 11.10.2016 को उक्त वाहन बिना परमिट एवं फिटनेस के संचालन किया जा रहा था। जिसके संबंध में वाहन मालिक को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिया गया जो प्रदर्श एनए—2 है जिसकी रसीद प्रदर्श एनए—3 है। उक्त नोटिस वाहन स्वामी द्वारा अस्वीकार किया गया है। नोटिस वापस लोटने बाबत लिफाफा प्रदर्श एनए—4 है। उसका बयान देने के संबंध में अधिकार पत्र प्रदर्श एनए—5 है। मामलें में बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन होने के कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है। जिरह में गवाह ने स्वीकार कथन किया कि उन्होंने संबंधित आरटीओ को परमिट व फिटनेस के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया। प्रदर्श एनए—1 में फिटनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श—एनए—4 लिफाफा रमाकान्त योगी को मिला या नहीं।

24— हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया। प्रदर्श—15 डी एल अनुसार वक्त दुर्घटना विपक्षी सं.1 चालक के पास वैध एवं प्रभावी डीएल होना प्रकट होता है। जहॉ तक दुर्घटना कारित करने वाले बीमित वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 का वैध एवं प्रभावी परमिट व फिटनेस होने का प्रश्न है, वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का परमिट व फिटनेस हो, इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य

नहीं है। प्रदर्श–2 आरसी अनुसार प्रश्नगत वाहन पैसेंजर वाहन है तथा प्रदर्श–एनए–1(प्रदर्श–13)–बीमा पत्र अनुसार उक्त वाहन पैसेजर कैरिंग कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में बीमित है। प्रश्नगत वाहन के परिमट व फिटनेस के संबंध में विपक्षी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने वाहन स्वामी को प्रदर्श एनए–2 नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रदर्श एनए–3 प्रेषित किया, जिसका कोई जवाब अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 ने पेश नहीं दिया। इसके अलावा विचारित प्रकरण में भी अप्रार्थी सं.1 लगायत 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये है। विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी के उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यही उपधारणा ली जावेगी कि वक्त दुर्घटना दिवस दिनांक 11.10.2016 को बीमित वाहन सं. वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी परमिट व फिटनेस नहीं था तथा वरवक्त दुर्घटना अप्रार्थीगण/विपक्षीगण सं. 1 लगायत 3 द्वारा प्रश्नगत वाहन टैम्पो ट्रेक्स नं. आरजे 23 टीए 2625 को बिना वैद्य व प्रभावी परमिट व फिटनेस के चलाया जा रहा था।

25– उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी/अप्रार्थी सं.4 बीमा कम्पनी इस दुर्घटना के लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होकर क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी से मुक्त किए जाने योग्य पायी जाती है।

26– विकल्प में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि यदि बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो भी अप्रार्थी बीमा कम्पनी को प्रथमतः प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित किया जावें।

27– इस बिन्दु के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के कारण बीमा कम्पनी का प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं है और इस अधिकरण/न्यायालय को प्रथमतः प्रार्थी/याची को विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से इस प्रकार का आदेश इस

अधिकरण के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त प्रार्थना को अस्वीकार किया जावें ।

28— इस बिन्दु के संबंध में इस अधिकरण के द्वारा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया।

29— बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रथमतः प्रार्थी/याची को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो नवीनतम विधि प्रतिपादित की गयी है, उसके सम्बन्ध में इस अवस्था पर विचार किया जाना सुसंगत है ।

30— माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक न्यायिक दृष्टान्त पप्पू बनाम विनोद कुमार लाम्बा जो कि 2018 (1) आर.ए.आर. 63 (एस.सी.) पर मुद्रित हुआ है, में माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद् पीठ के तीन न्यायाधिपतिगण के द्वारा जो कि दिनांकः 19.1.2018 को निर्णित किया है।

31— माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह विधि प्रतिपादित की है कि यदि बीमा कम्पनी अपनी प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने में सफल भी हो जाती है, तो भी न्यायाधिकरण/न्यायालय प्रथमतः प्रार्थी/याची को अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त अदा की गयी क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल कर सकने का आदेश पारित कर सकती है ।

32— इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय तीन न्यायाधिपतिगण के द्वारा इस विधि को प्रतिस्थापित किया है कि यदि बीमा कम्पनी बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के तथ्य को तथा अपनी प्रतिरक्षा को प्रमाणित कर भी देती है, तो भी मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण/न्यायालयों को प्रथमतः बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की गयी उपरोक्त विधि में इस न्यायाधिकरण को प्रथमतः भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित कर सकने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त होने की विधि प्रतिपादित की

गयी है, तो इस न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित की गयी विधि से इस न्यायाधिकरण को प्रथमतः प्रार्थी/याची को बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है ।

33— इसी न्यायिक दृष्टान्त पप्पू बनाम विनोद कुमार में पारित की गयी विधि पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील नम्बर 9078—9079/2017 रानी व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जो कि दिनांक 31.7.2018 को निर्णित किया गया है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 2253/2018 अमृत पाल सिंह व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेस कं. व अन्य निर्णय दिनांक 17.05.2018 में वाहन का परमिट नहीं होने पर इसे बीमा अनुबंध की शर्त का उल्लघंन मानते हुए तृतीय पक्षकार को बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान करने व उसके उपरांत क्षतिपूर्ति राशि को वाहन स्वामी से वसूल कर Pay and Recovery theory को मान्य किया ।

34— इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पप्पू बनाम विनोद कुमार तथा रानी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 एवं अमूत पाल सिंह व अन्य में प्रतिपादित की गयी विधि से इस न्यायालय को प्रथमतः प्रार्थीगण को बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने के आदेश पारित करने की शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है ।

35— अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित की गयी विधि के परिप्रेक्ष्य में इस याचिका के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन किये जाने पर इस याचिका के विवाद्यक सं.—3 में बीमा अनुबन्ध की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होने के कारण विपक्षी बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से उन्मुक्त किया गया है, तो भी प्रार्थी/याची को उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित की गयी विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रथमतः प्रार्थीगण को बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान करने एवं उसके उपरान्त उक्त क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित है ।

36— अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप यह भी आदेशित किया जाता है कि

प्रार्थीगण के पक्ष में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का प्रथमतः विपक्षी सं. 4 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थीगण को भुगतान किया जावेगा और विपक्षी संख्या 4 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थीगण को प्रदत्त की गयी समस्त क्षतिपूर्ति की राशि विपक्षी सं. 4 बीमा कम्पनी विपक्षी सं. 2 वाहन स्वामी से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारी होगी और इस हेतु विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी को पृथक से वाद प्रस्तुत की आवश्यकता नहीं है, वह इस अधिकरण के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिनिर्धारित/भुगतान की गयी राशि को विपक्षी सं. 2 वाहन स्वामी से वसूल कर सकने की अधिकारी होगी और उपरोक्त विवाद्यक उपरोक्त अनुरूप निर्णित किया जाता है।

:: विवाद्यक सं0—4::

37— इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.3 विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी के पक्ष में उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णीत किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दुर्घटना में आई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 वाहन पंजीकृत स्वामी से प्राप्त करने के अधिकारी है, क्षतिपूर्ति राशि किस किस प्रकार से किन किन मदों में दिलवाई जावे, इस सम्बन्ध में विचार किया जाना हैं।

38— उक्त क्लेम याचिका में उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि वक्त दुर्घटना मृतक 37 साल का था जो मिट्टी के बर्तन, खिलाने बनाने का कार्य प्रतिमाह 15,000/—रूपये आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

39— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने मृतक की आय व आयु के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, क्षतिपूर्ति राशि बढा चढाकर अंकित की है, मृतक कोई आय अर्जित नहीं करती थी, इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की आय क्षति नहीं हुई है।

40— इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी विमला देवी ए.उब्ल्यु—1 ने साक्ष्य के दोरान कथन किया कि उसके पति मिटटी के खिलौन बनाकर 15 हजार रूपये प्रतिमाह कमाते थे तथा सभी परिवारवालें उनकी आय पर निर्भर

थे। अब उसके पास आय का कोई जरिये नहीं है, उसके चार बच्चे है। जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। उसके पति 9—10 तक पढे लिखे थे। उसने पति का कोई बैंक विवरण पेश नही किया। उसके सास ससुर जीवित है।

41— हमनें उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली पर साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। मामलें प्रार्थीगण ने मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये। वक्त दुर्घटना मृतक कोई कार्य कर आय अर्जित नहीं करती हो, ऐसा कोई कथन अप्रार्थीगण/विपक्षीगण का नहीं है। मृतक कहॉ तक पढा लिखा था इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्य व परिस्थितियों व मृतक के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक को अर्द्धकुशल श्रेणी का मानते हुए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है, मामला वर्ष 2016 का होने के कारण मृतक की मासिक आय 5,486/—रूपये प्रतिमाह मानी जाना न्यायोचित है, जो वार्षिक 65,832/—रूपये होती है।

42— अब इस मामलें में यह निर्धारण किया जाना है कि मृतक की वक्त दुर्घटना वास्तविक उम्र कितनी थी, प्रार्थीगण ने याचिका में वक्त दुर्घटना मृतका की आयु 37 वर्ष होना बताया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—16 में मृतक की आयु 35 वर्ष वर्णित है। प्रार्थीगण ने मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक की आयु 37 वर्ष होना स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। उपरोक्त समस्त तथ्य—परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की वक्त दुर्घटना उम्र 37 वर्ष माना जाना उचित प्रतीत होता है और इस आधार पर उसकी उम्र 36 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य वक्त दुर्घटना मानी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

43— इस मामलें में मृतक पर कौन—कौन आश्रित है, इस पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थीया सं.1 मृतक की पत्नी, प्रार्थीगण सं. 2 लगायत 5 मृतक के पुत्र—पुत्रियॉ व प्रार्थीगण सं. 6 व 7 मृतक के माता पिता है। मामलें में प्रार्थीगण सं.1 लगायत 7 मृतक पर आश्रित नहीं हो, इसके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण सं.—1 लगायत 7 को मृतक का आश्रित होना माना जाना न्यायोचित है। इस प्रकार

इस मामले में मृतक के 07 आश्रित माने जाने से मृतक की आय में से सरला वर्मा न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिंद्वात के अनुसार 1/5 राशि की कटौती की जाना न्यायोचित है।

44— इस मामलें में मृतक की वार्षिक आय 65,832/—रूपये मानी गई है। मृतक की अपनी आय में से 1/5 प्रतिशत हिस्सा स्वयं पर व्यय करना माना गया है, इस कारण मृतक की वार्षिक आय 65,832/—रूपये में से 13,166/—रूपये कम किये जाने पर 52,666/—रूपये राशि शेष रहती है, जो आश्रितता राशि मानी जाती है। इस राशि पर मृतक की आयु 36 से 40 के मध्य मानी गई है, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सरला वर्मा के अनुसार 15 का गुणक प्रयुक्त किये जाने पर 7,89,990/— रूपये की राशि होती है, जो आश्रितता राशि मानी जाती है।

45— अब इस मामले में इस बिन्दू पर विचार किया जा रहा है कि क्या मृतका की भविष्य की आय की बढोत्तरी करते हुवे क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जावे। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (4) टी ए सी पेज—673 एस सी नेंशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम प्रणय सेठी व अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.17 में स्व नियोजित वेतनभोगी मृतक व्यक्ति के लिये भी भविष्य की आय की क्षति दिलवाई जाने का सिद्वांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार जहां पर मृतक की आयु 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत मृतक की आय में भविष्य की आय की बढोत्तरी करते हुए क्षतिपूर्ति राशि की गणना किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये है। इसी निर्णय में यह भी सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि कंसोर्टियम के मद में 40,000/—रूपये, सम्पत्ति क्षति के मामले में 15000/—रूपये व दाह संस्कार व अन्य धार्मिक रिति रिवाजों पर व्यय किये गये मद मे 15000/— रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाने के दिशा निर्देश दिये है।

46— हस्तगत प्रकरण में मृतक की मृत्यु के समय आयु 36 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य मानी गई है, इस मामले में आश्रितता राशि 7,89,990/—रूपये मानी गई है, इस राशि की 40 प्रतिशत भविष्य की आय की क्षति 3,15,996/—रूपये मानी जाती है, इस प्रकार आश्रितता राशि भविष्य की आय सहित कुल 11,05,986/—रूपये होती है जो प्रार्थीगण, विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

47— प्रार्थीगण पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियों, व माता पिता की सेवा सृश्रुषा, प्यार, स्नेह के लिये सदैव के लिये वंचित हो गये हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1145, दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानूराम व अन्य 2018 (18) एस.सी.सी. 130 तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सोमवती 2020(9) एस.सी.सी. 644 में प्रतिपादित कन्सोर्टियम की मद में पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियों, व माता पिता की क्षतिपूर्ति के संबंध में दिये गये निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

48— नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी बनाम प्रणेय सेठी के निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के पैरा नंबर 61 (Viii) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि—

"Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs 15000/-, Rs 40,000/-, Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three Years.

49— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत नानूराम व सोमवती, दोनों के ही अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्रणय सेठी के मामले में नियत राशि 40,000/—रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 20 प्रतिशत वृद्धि) = 48,000/—रूपये कन्सोर्टियम की मद में दिलाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रार्थीगण पति, पिता व पुत्र के स्नेह, लाड प्यार, सेवा सुश्रूषा से वंचित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को कन्सोर्टियम की मद में 48,000/—रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायोचित है। इसके साथ ही प्रार्थीगण को मृतक के अंतिम संस्कार की मद में 15,000/—रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 20 प्रतिशत वृद्धि) = 18,000 व सम्पत्ति नुकसान की मद में 15,000/—रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 20 प्रतिशत वृद्धि) =18,000 दिलाया जाना न्यायोचित है।

50— इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण निम्न प्रकार से विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से प्राप्त

करने का अधिकारी है:— —

क.सं.	**मद का नाम**	**राशि**
1.	आश्रितता राशि के मद में भविष्य की आय की क्षति सहित	11,05,986/—
2.	दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य(48,000X7)	3,36,000/—
3.	अंतिम संस्कार	18,000/—
4.	परिवहन व सम्पत्ति नुकसान	18,000/—
	कुल राशि	**14,77,986/—**

51— इस प्रकार प्रार्थीगण, विपक्षी/अप्रार्थी सं.2 से 14,77,986/—रुपये (अक्षरे चौदह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ छियासी रूपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होगें, शेष राशि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की प्रार्थना साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

52— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 4 उक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्राथीगण/विपक्षीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

अनुतोष

53— उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण बतौर क्षतिपूर्ति राशि 14,77,986/—रुपये (अक्षरे चौदह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ छियासी रूपये) अप्रार्थी/विपक्षी सं. 2 से प्राप्त करने के अधिकारी है। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। उक्त राशि में से दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 12.01.2017 से 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज दिलाया जाना भी उचित है।

54— उक्त विवेचन अनुसार विपक्षी/अप्रार्थी सं.4 बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के दायित्व से मुक्त किया गया है, परन्तु अप्रार्थी सं. 4 बीमा कम्पनी उक्त याचिका में अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 के हक में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि का याचिकाकर्ता/प्रार्थीगण को भुगतान करेगी उसके उपरान्त अप्रार्थी/विपक्षी बीमा कम्पनी, वाहन नं. आरजे—23 टी—2625 के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारिणी होगी। शेष अनुतोष की हद तक प्रार्थीगण की याचिका खारिज

किये जाने योग्य है।

—: पंचाट :—

55— परिणामतः प्रार्थीगण की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी/विपक्षी सं. 2 के विरूद्व इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण बतौर क्षतिपूर्ति राशि 14,77,986/—रुपये (अक्षरे चौदह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ छियासी रूपये) अप्रार्थी/विपक्षी सं. 2 से प्राप्त करने के अधिकारी होगें। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी।

56— प्रार्थीगण उक्त राशि में से दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी के नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 12.01.2017 से 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थी/विपक्षी सं. 4 बीमा कम्पनी को मुक्त किया जाता है।

57— विवाद्यक सं. 3 में किये गये विवेचन के अनुरूप विपक्षी संख्या—4 बीमा कम्पनी को मुक्त करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि उक्त याचिका में प्रार्थीगण/याचीगण के पक्ष में अभिनिर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि का प्रथमतः विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थीगण/याचिकाकर्ता को भुगतान किया जावेगा तथा विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदत्त की गयी समस्त क्षतिपूर्ति की राशि विपक्षी सं.4 बीमा कम्पनी इस याचिका के विपक्षी सं.2 वाहन स्वामी रमाकान्त योगी से विधि अनुरूप प्राप्त/वसूल करने की अधिकारी होगी और इस हेतु विपक्षी सं. 4 बीमा कम्पनी को पृथक से वाद प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है, वह इस अधिकरण के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिनिर्धारित/भुगतान की गयी राशि को अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 से प्राप्त/वसूल कर सकने की अधिकारी होगी। उक्त पंचाट राशि विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा इस पंचाट की तिथि से एक माह की अवधि में जरिये नेफ्ट अधिकरण के खाते में जमा करवायी जावेगी, प्राप्त होने वाली राशि में से प्रार्थीया सं. 2 सजना व प्रार्थीया सं.3 ममता जो मृतक की पुत्रियॉ है जो याचिका में वर्णित आयु अनुसार वर्तमान में बालिग होना प्रकट होता है, प्रत्येक को एक लाख पचास हजार रूपये— एक लाख पचास

हजार रूपये की राशि देय होगी, जिसमें से प्रत्येक प्रार्थीया के नाम एक लाख रूपये व एक लाख रूपये की राशि तीन वर्ष–तीन वर्ष की अवधि के लिये उनके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में जमा करवायी जावेगी तथा शेष राशि पचास हजार रूपये–पचास हजार रूपये उनके बचत खातें में जमा करवायी जावेगी। प्रार्थी सं. 4 राहुल जो मृतक का पुत्र है को एक लाख पचास हजार रूपये की राशि देय होगी, जो राशि तीन वर्ष की अवधि के लिये उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में जमा करवायी जावेगी। प्रार्थीया सं. 5 आरती जो मृतक की नाबालिग पुत्री है को एक लाख पचास हजार रूपये की राशि देय होगी, जो राशि उसके वयस्क होने तक की अवधि के लिये जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विमला देवी उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में जमा करवायी जावेगी। प्रार्थीया सं–6 नन्छी देवी व प्रार्थी सं.–7 कजोडमल जो मृतक के माता पिता है प्रत्येक को पचास हजार रूपये– पचास हजार रूपये की राशि देय होगी, जो राशि उनके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खातें में जमा करवायी जावेगी। प्रार्थी सं.2 लगायत 7 को देय होने के पश्चात् शेष राशि प्रार्थीया सं.1 विमला देवी मृतक की पत्नी को देय होगी, जिसमें से एक लाख रूपये की राशि एक वर्ष, एक लाख रूपये की राशि दो वर्ष, एक लाख रूपये की राशि तीन वर्ष व एक लाख रूपये की राशि पॉच वर्ष की अवधि के उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा करवायी जावेगी तथा शेष राशि व अवार्ड राशि पर अर्जित ब्याज की राशि प्रार्थीया सं.1 विमला देवी के बचत बैंक खाते में जमा करवायी जावेगी। शेष अनुतोष की हद तक याचीगण/प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाती है।

(मनीषा सिंह)

58– निर्णय आज दिनांक 18–09–2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा सिंह)